न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 117/2026

01. विजेन्द्र कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी 28 बीडी बी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर .....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ....प्रतिवादी

प्रार्थनापत्र/वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–22.05.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी व भाई के नाम से चक 28 बीडी बी मु0नं0 36/19 के किला नं0 1/2 में 0.2276 है0, 2 ता 9 सालम, 10/2, 11/2 प्रत्येक में 0. 2276 है0, 12 ता 19 सालम, 20/2 में 0.2276 है0, 21/2 में 0.2276 है0, 22 ता 25 सालम इसप्रकार कुल तादादी 6.1960 हैक्टर संयुक्त खाता में बतौर विरासतन दर्ज रिकॉर्ड है और तब से लेकर आजतक प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है एवं ढाणी बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रहा है यही उसके जीविकोपार्जन का साधन है। माता के फौत पश्चात विरासतन इंतकाल सं0 89, 109 दर्ज हुआ जिसमें प्रार्थी का नाम विजेन्द्र सिंह ही दर्ज हुआ जबकि पूर्व में इंतकाल सं0 49, 52 में विजेन्द्र कुमार अंकित है इसके बाद ऑनलाईन के वक्त प्रार्थी का नाम विजेन्द्र सिंह दर्ज हो गया जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम विजेन्द्र कुमार ही है तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम विजेन्द्र कुमार दर्ज है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज यथा आधारकार्ड, पेनकार्ड, जन आधारकार्ड, जाति प्रमाणपत्र में विजेन्द्र कुमार दर्ज रहा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवा संशोधित नाम दर्ज करवाना चाहता है। उक्त सभी दस्तावेजों संलग्न पत्रावली है। रिकॉर्ड में विजेन्द्र सिंह होने की वजह से प्रार्थी सरकारी वितीय सहायता और किसान कार्ड नहीं बना पा रहा है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में विजेन्द्र सिंह है और अन्य रिकॉर्ड में विजेन्द्र कुमार है जिसके जरिये रिकॉर्ड दुरूस्ती कर रिकॉर्ड में विजेन्द्र सिंह को हटाकर विजेन्द्र कुमार दर्ज करवाकर प्रार्थी खातेदार दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। अतः प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट का पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 28 बीडी बी मु0नं0 36/19 के किला नं0 1/2 में 0.2276 है0, 2 ता 9 सालम, 10/2, 11/2 प्रत्येक में 0.2276 है0, 12 ता 19 सालम, 20/2 में 0.2276 है0, 21/2 में 0.2276 है0, 22 ता 25 सालम इसप्रकार कुल तादादी 6.1960 हैक्टर के राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर विजेन्द्रसिंह के स्थान पर विजेन्द्रकुमार करने के आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, राशनकार्ड, ग्राम पंचायत तस्दीक, दस्तबरदारी, नामान्तरण, आवंटन आवेदनपत्र इत्यादि की प्रति व तहसीलदार/पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम विजेन्द्र कुमार अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 28 बीडी बी मु0नं0 36/19 के किला नं0 1/2 में 0.2276 है0, 2 ता 9 सालम, 10/2, 11/2 प्रत्येक में 0.2276 है0, 12 ता 19 सालम, 20/2 में 0.2276 है0, 21/2 में 0.2276 है0, 22 ता 25 सालम इसप्रकार कुल तादादी 6.1960 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी

के पिता का नाम विजेन्द्र सिंह की जगह विजेन्द्र कुमार संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच विजेन्द्र सिंह नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का विजेन्द्र सिंह नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम विजेन्द्र सिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 22.05.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)